न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–31/2025 दर्ज तिथि:–21.03.2025

1. पुखराज पुत्र वगताराम
2. भंवराराम पुत्र वगताराम
   जाति विश्नोई निवासी खरड़, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. वगताराम पुत्र हरलाल
2. पांचाराम पुत्र वगताराम
3. जयकिशन पुत्र वगताराम
4. चनणी पुत्री वगताराम
5. सुजाणाराम पुत्र हरलाल
6. आसूराम पुत्र मंगलाराम
7. श्रीराम पुत्र मंगलाराम
8. हनुमान पुत्र मंगलाराम
9. भाखराराम पुत्र मंगलाराम
10. चुनीलाल पुत्र मंगलाराम
11. किशनाराम पुत्र मंगलाराम
12. चन्दाराम पुत्र रिड़मलराम
13. जगदीश पुत्र रिडमलराम
14. जयकिशन पुत्र रिडमलराम
15. किशनाराम पुत्र गोरधनराम
16. जयकिशन पुत्र मंगलाराम
17. राजूराम पुत्र गोरधनराम
18. मोहनलाल पुत्र गोरधनराम
19. भैराराम पुत्र हरचन्दराम
20. हीराराम पुत्र हरचन्दराम
21. बाबूलाल पुत्र भैराराम
22. भागीरथराम पुत्र भींयाराम
23. झमकू देवी पत्नी भींयाराम
24. मंगली देवी पत्नी नरसिंगाराम
    जाति विश्नोई निवासी खरड तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
25. प्रबन्धक,एसबीआई शाखा धोरीमना
26. तहसीलदार एवं उप पंजीयक धोरीमना

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:41 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री रामनिवास विश्नोई
प्रतिवादीः–राजूराम (1 से 3)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–26.08.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण का खानदानी सजरा निम्न लिखित अनुसार है जो हिन्दु विधि से मिताक्षरा शाखा से प्रशासित होते हैं–

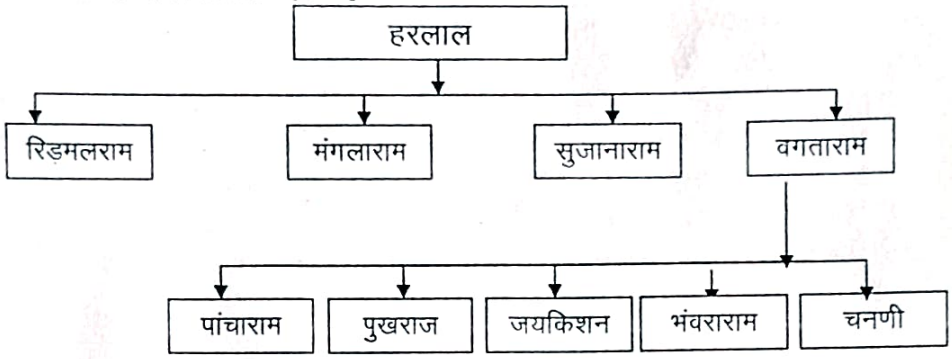

इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दु विधि से शासित है तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के जायन्दा पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 01 मुतवफी हरलाल के चार पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र है। वक्त सेटलमेंट ग्राम खरड़ तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 523 ,449/1, 449/7 रकबा क्रमशः 29.0402 है0, 31.4197 है0, 0.2914 है0 जो ठाकराराम की भूमि थी। ठाकराराम के स्वर्गवास होने पर उनके वारिश हरलाल व हरचन्दराम के नाम से हुई तथा उसी क्रम से हरलाल का स्वर्गवास होने पर प्रतिवादी संख्या 01 व उनके भाईयों के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त आराजी पैतृत आराजी है तथा पैतृक आराजी में वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित हो गया।

2. कि वादीगण की पैतृक आराजी ग्राम खरड़ पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 523 रकबा 29.0402 है0 किस्म बारानी दोयम में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा होने से प्रतिवादी संख्या 01 के कुल पांच संतान होने से वादीगण प्रत्येक का 1/48 हिस्सा तथा उसी अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 तक का भी 1/48 हिस्सा बनता है। तथा ग्राम खरड़ पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 449/1/31.4197 है0 व खसरा संख्या 449/7/0.2914 है0 में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा होने से वादीगण प्रत्येक का 1/24 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 तक का प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा बनता है अनुसार हिस्सा घोषित करवाने हेतु वादीगण द्वारा उक्त वाद दायर कर अ हिस्सा घोषणा चाही गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:41 IST
Reason: SelfAttested

3. इस प्रकार उक्त खातेदारी आराजी पैतृक आराजी है। वादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मे मिलने वाले हिस्से का प्रथम श्रेणी के वारिश है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है ओर वादीगण अपने पैतृक हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी वंटवारा पर काबिज है। तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दु पुरूष के पुत्र,पुत्री–पोत्र,पोत्री एवं परपोत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक संपति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हैं। तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार पिता के जीवनकाल में ही विधिक वारीश अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। इसलिए वादीगण द्वारा उक्त वाद प्रस्तुत कर अपने हिस्से की घोषणा का निवेदन किया गया।

4. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 मय वकुलाय उपस्थित न्यायालय होकर अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद के बिन्दुओं पर सहमति जाहिर कर स्वीकार किया गया है तथा प्रतिदावा प्रस्तुत कर उक्त खसरान में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का काउण्टर क्लैम स्वीकार कर प्रतिवादी के हक हिस्से की भी घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 25 तक के सम्मन बावजूद रजिस्टर्ड तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु नियत करने पर वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में निम्न शपथ पत्र, गवाह एवं दस्तावेज प्रदर्श करवाऐ।

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खसरा संख्या 523 मौजा खरड़	प्रदर्श–1
जमाबंदी	खसरा संख्या 449 / 1,449 / 7 मौजा खरड़	प्रदर्श–2
आधार कार्ड	आधार कार्ड संख्या 426645906043	प्रदर्श–3
आधार कार्ड	आधार कार्ड संख्या 587363456999	प्रदर्श–4

1. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी
पुखराज पुत्र वगताराम	विश्नोई	खरड़
भंवराराम पुत्र वगताराम	विश्नोई	खरड़

5. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते इसलिए प्रतिवादीगण साक्ष्य बंद कर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

6. प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद का कोई बिन्दु पत्रावली पर नहीं होने के कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश–15 नियम–01 में प्रावधान बनाये गये हैं। जिसका उद्धरण इस प्रकार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:41 IST
Reason: SelfAttested

ORDER XV

Disposal of the Suit at the first hearing

1. Parties not at issue.—

(1) Where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact, the Court may at once pronounce judgment.

7. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

8. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा दो निम्न अनुतोष निवेदित किये हैं:–

1. वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जावे।
2. वादीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन, हस्तक्षेप व बेचान, रहन नहीं करने/कराने तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

9. पत्रावली पर अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम अनुतोष संख्या 01 जो कि निम्न प्रकार है:–

1. वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किया जावे।

7. प्रकरण में वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–15 के अंतर्गत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत अधिकार सृजित होने के आधार पर खातेदार के रूप में दर्ज होने का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 का प्रकरण में अवलोकन किया जाना आवश्यक है जिसके प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:–

6. Devolution of interest in coparcenary property.—

(1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall,—

(a) by birth become a coparcener in her own right the same manner as the so

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:41 IST
Reason: SelfAttested

(b) have the same rights in the coparcenery property as she would have had if she had been a son;

(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenery property as that of a son, and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a reference to a daughter of a coparcener:

Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December, 2004.

8. उक्त उद्धरण अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी हिन्दू पुरूष की संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 के अनुसार हिन्दु पुरूष के पुत्र,पुत्री–पोत्र,पोत्री एवं परपोत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक संपति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हैं। प्रकरण में तथ्य निर्विवादित है कि वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में पैतृक सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधान लागू होते हैं। साथ ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी है। साथ ही प्रकरण में यह तथ्य भी निर्विवादित है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 हरलाल के वंशज है।

9. अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–6 व 8 के तहत वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 हरलाल तथा प्रतिवादीगण संख्या 02 से 04 वगताराम पुत्र हरलाल के वंशज होने तथा प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादी संख्या 01 की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर वादीगण तथा प्रतिवादीगण का अनुतोष मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार हक हिस्से तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. प्रकरण में द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादीगण के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:–

188. Injunction against wrongful ejectment—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may, after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:41 IST
Reason: SelfAttested

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;
(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.
(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

11. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

12. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादीगण का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादीगण का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त वादीगण की आराजी में कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

13. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–1 के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जो इस प्रकार है:–

स्वामित्व एवं कब्जा	प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 वगताराम की पैतृक खातेदारी आराजी खसरा संख्या ग्राम खरड़ पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 523 रकबा 29.0402 है0 तथा ग्राम खरड़ पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 449/1/31.4197 है0 व खसरा संख्या 449/7/0.2914 है0 में अवस्थित है। प्रकरण में वादीगण का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त व वहमी बंटवारा से संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादीगण का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व [illegible] संयुक्त खातेदारी होने से वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:41 IST
Reason: SelfAttested

	के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है।
सुविधा का संतुलन	मुतनाजा आराजी पर वादीगण के पिता की संयुक्त खातेदारी आराजी होने तथा वादीगण कब्जा काश्त व बहमी बंटवारा के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादीगण के पक्ष में होना प्रतीत होता है।
अपूरणीय क्षति	प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 बगताराम की पैतृक खातेदारी आराजी खसरा संख्या ग्राम खरड़ पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 523 रकबा 29.0402 है0 तथा ग्राम खरड़ पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 449/1/31.4197 है0 व खसरा संख्या 449/7/0.2914 है0 में अवस्थित है। प्रकरण में वादीगण का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादीगण का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है।

14. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण 2 से 4 के पिता बगताराम की पैतृक खातेदारी आराजी खसरा संख्या ग्राम खरड़ पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 523 रकबा 29.0402 है0 तथा ग्राम खरड़ पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 449/1/31.4197 है0 व खसरा संख्या 449/7/0.2914 है0 में अवस्थित है। प्रकरण में वादीगण का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादीगण का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादीगण का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादीगण के किसी निश्चित भू–भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है। लेकिन कब्जा काश्त व वहमी बंटवारा के आधार पर सुविधा व न्याय का संतुलन वादीगण के पक्ष में होना स्पष्ट है। परन्तु रेकर्ड में सहखातेदार होने से अपने हिस्से तक व अपने हिस्से तक की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रतिदावा बाबत इस्तकरार हक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को मुतनाजा आराजी हाल ग्राम ग्राम खरड़ पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 523 रकबा 29.0402 है0 में वादीगण के पिता बगताराम के हिस्से 1/8 में से वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/48 –1/48 हिस्सा तथा ग्राम खरड़ पटवार धोरीमना तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 449/1/31.4197 है0 व खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:41 IST
Reason: SelfAttested

449/7/0.2914 है0 में वादीगण के पिता वगताराम के हिस्से में 1/4 हिस्से में से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक को 1/24 हिस्सा मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को उक्त आराजी में कानूनन हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। तथा वादीगण के हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 26.08.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

26/8/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:41 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20,रूल्स 6,7,सीपीसी)

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–31 / 2025 दर्ज तिथिः–21.03.2025

1. पुखराज पुत्र वगताराम
2. भंवराराम पुत्र वगताराम

जाति विश्नोई निवासी खरड़, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

............................वादीगण

बनाम

1. वगताराम पुत्र हरलाल
2. पांचाराम पुत्र वगताराम
3. जयकिशन पुत्र वगताराम
4. चनणी पुत्री वगताराम
5. सुजाणाराम पुत्र हरलाल
6. आसूराम पुत्र मंगलाराम
7. श्रीराम पुत्र मंगलाराम
8. हनुमान पुत्र मंगलाराम
9. भाखराराम पुत्र मंगलाराम
10. चुनीलाल पुत्र मंगलाराम
11. किशनाराम पुत्र मंगलाराम
12. चन्दाराम पुत्र रिड़मलराम
13. जगदीश पुत्र रिड़मलराम
14. जयकिशन पुत्र रिड़मलराम
15. किशनाराम पुत्र गोरधनराम
16. जयकिशन पुत्र मंगलाराम
17. राजूराम पुत्र गोरधनराम
18. मोहनलाल पुत्र गोरधनराम
19. भैराराम पुत्र हरचन्दराम
20. हीराराम पुत्र हरचन्दराम
21. बाबूलाल पुत्र भैराराम
22. भागीरथराम पुत्र भींयाराम
23. झमकू देवी पत्नी भींयाराम
24. मंगली देवी पत्नी नरसिंगाराम

    जाति विश्नोई निवासी खरड़ तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
25. प्रबन्धक,एसबीआई शाखा धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:41 IST
Reason: SelfAttested

26. तहसीलदार एवं उप पंजीयक धोरीमना

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:–श्री रामनिवास विश्नोई
प्रतिवादी:–राजूराम (1 से 3)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:पर्चा डिक्री:–

वादीगण का दावा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का प्रतिदावा बाबत इस्तकरार हक्क स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादीगण संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को मुतनाजा आराजी हाल ग्राम ग्राम खरड़ पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 523 रकबा 29.0402 है0 में वादीगण के पिता वगताराम के हिस्से 1/8 में से वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/48 –1/48 हिस्सा तथा ग्राम खरड़ पटवार हल्का धोरीमना तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 449/1/31.4197 है0 व खसरा संख्या 449/7/0.2914 है0 में वादीगण के पिता वगताराम के हिस्से में 1/4 हिस्से में से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक को 1/24–1/24 हिस्सा मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 को उक्त आराजी में कानूनन हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। तथा वादीगण के हिस्से तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रतिवादीगण वादीगण के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

26/8/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:17:41 IST
Reason: SelfAttested